

23/10

(To be published in Part-IV of the Delhi Gazette Extra Ordinary)
 Government of National Capital Territory of Delhi
 DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
 9th Floor, A-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.32/13/2009/H&FW/ 1985-91

Dated the 13.7. 2015


NOTIFICATION

No. F.32/13/2009/H&FW/ In exercise of the powers conferred by section 4 sub-section(1) of the Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to publish the names of Members of the Delhi Medical Council, as under:-

S. No.	Name	Clause under which nominated/elected
(1)	Dr. Atul Kumar Gupta	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3).
(2)	Dr. Arun Kumar Gupta	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3).
(3)	Dr. Chander Parkash	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3).
(4)	Dr. Yogesh Kumar Sarin	Clause (a) of Sub-section (3) of Section (3).
(5)	Dr. Deepak K. Tempe- Maulana Azad Medical College.	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(6)	Dr. Shridhar Dwivedi- Hamdard Institute of Medical Sciences.	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(7)	Dr. Rani Kumar- North Delhi Medical College.	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(8)	Dr. B. L. Sherwal- Lady Hardinge Medical College.	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(9)	Dr. Anil Kumar Mittal- Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital.	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(10)	Dr. Satendra Singh- University College of Medical Sciences	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(11)	Dr. Subodh Kumar- All India Institute of Medical Sciences	Clause (b) of Sub-section (3) of Section (3).
(12)	Maj. General N.C. Arora- Army College of Medical Science	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(13)	Dr. Ajay Gambhir	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(14)	Dr. Harish Gupta	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(15)	Dr. Narendra Kumar Saini	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(16)	Dr. Narinder Pal Singh	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(17)	Dr. Anil Kumar Agarwal	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(18)	Dr. Jitendra Pal Singh Sawhney	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(19)	Dr. Kamal Kishore Parwal	Clause (c) of Sub-section (3) of Section (3).
(20)	Dr. Nomeeta Gupta	Clause (d) of Sub-section (3) of Section (3).
(21)	Dean, Medical Faculty, University of Delhi- (Ex-officio)	Clause (e) of Sub-section (3) of Section (3).
(22)	Director, Health Services, G. N. C. T of Delhi- (Ex-officio)	

Subject to provisions of the aforesaid Act, the term of office of the above members shall be five years from the date of publication of this Notification.

By order and in the name of
 Lt. Governor, NCT of Delhi.



 (ASHOK KUDIAR)
 DY. SECRETARY (H&FW)

Dated: 13/3/15

No. F.32/13/2009/H&FW/ 1985-91

Copy forwarded to:-

1. The Registrar, Delhi Medical Council, B.S.Z. Marg, New Delhi- 110002.
2. P.S to Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
3. The Director, Directorate of Health Services, Karkardooma, Delhi.
4. The Publication Department, for publication in Official Gazette-P-IV.
5. P.S to Secretary, Health & Family Welfare Department, GNCT of Delhi.
6. Dy. Secretary, General Administration Department, GNCT of Delhi.
7. Guard File.


 (ASHOK KUMAR)
 DY. SECRETARY (H&FW)

23/10

(दिल्ली राजपत्र भाग—4 असाधारण में प्रकाशनाथ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

९ वां तल, ए—विंग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०इस्टेट, नयी दिल्ली—०२.

संफा० ३२/१३/२००९/स्वा० एवं परि०कल्या०/। ९८५—१।

दिनांक: १३/३/११


अधिसूचना

संफा० ३२/१३/२००९/स्वा० एवं परि०कल्या०/ — दिल्ली चिकित्सा पारिषद् अधिनियम, १९९७ (१९९७ का दिल्ली अधिनियम ५) की धारा ४ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली चिकित्सा पारिषद् के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार प्रकाशित करती हैः—

क्र० सं०	नाम	जिस खंड के अन्तर्गत नामांकित /निर्वाचित
१	डॉ० अतुल कुमार गुप्ता	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (क)
२	डॉ० अरुण कुमार गुप्ता	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (क)
३	डॉ० चन्द्र प्रकाश	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (क)
४	डॉ० योगेश कुमार सरीन	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (क)
५	डॉ० दीपक कुमार टेम्पे, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
६	डॉ० श्रीधर द्विवेदी, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
७	डॉ० रानी कुमार, नार्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
८	डॉ० बी०एल० शेरवाल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
९	डॉ० अनिल कुमार मित्तल, वर्दमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजांग अस्पताल	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
१०	डॉ० सतेन्द्र सिंह, गूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
११	डॉ० सुबोध कुमार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
१२	मेजर जनरल एन०सी० अरोड़ा, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ख)
१३	डॉ० अजय गंभीर	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
१४	डॉ० हरीश गुप्ता	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
१५	डॉ० नरेन्द्र कुमार सैनी	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
१६	डॉ० नरेन्द्र पाल सिंह	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
१७	डॉ० अनिल कुमार अग्रवाल	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
१८	डॉ० जितेन्द्र पाल सिंह साहनी	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
१९	डॉ० कमल किशोर परवाल	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
२०	डॉ० नोमिता गुप्ता	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (ग)
२१	संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय (पदेन)	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (घ)
२२	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली सरकार (पदेन)	धारा ३ की उपधारा (३) का खंड (घ)

पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से पांच वर्ष होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(अशोक कुमार)

उप-सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

संफा० ३२/१३/२००९/स्वा० एवं परि०कल्या०/। ९८५—१।

दिनांक: